न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 35/2021

श्रीमति मनभर देवी पत्नी श्री रामकरण जाट निवासी ग्राम वजीराबाद पो0 पराना तहसील व जिला टोंक राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 11–11–2021**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 1–09–2021 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :–

1 श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय टोंक ने ममता जाट कानि0 171ए, 9 वी बटालियन आरएसी टोंक को शहीद अशोक कुमार जाट पुत्र रामकरण जाट निवासी वजीराबाद तहसील टोंक की पत्नी होने, विरांगना होने, उत्ताराधिकारी का न्यायालय का प्रमाण–पत्र उपलब्ध करावे।

2 ममता जाट को शहीद अशोक कुमार की विरांगना (पत्नी) मानते हुए 15 अगस्त 2021 को जिला कलेक्टर टोंक द्वारा सम्मानित करने का रेकार्ड उपलब्ध करावे।

3 जिला कलेक्टर टोंक ने किस आधार पर सम्मानित किया गया है रेकार्ड उपलब्ध करावे।

4 ममता जाट के न्यायालय से प्राप्त उत्तराधिकारी का प्रमाण–पत्र पेश किया है तो उपलब्ध करावे।

5 ममता जाट कानि0 171ए, 9 वी बटालियन आरएसी टोंक ने उत्तराधिकारी से सन्दर्भ मे माननिय जिला सेशन न्यायधीश महोदय टोंक के न्यायालय में धारा 372 के तहत दावा विचाराधीन चल रहा है उसकी सूचना दी गई है रेकार्ड उपलब्ध करावे।

6 सरकारी नियम के तहत अदालत द्वारा जब तक उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र जारी नही किया जाता तब तक पेन्शन, ग्रेच्यूटी, वीरता पुरस्कार व अन्य लाभ, महिला को भुगतान नही किया जा सकता है और नाही सम्मानित किया जा सकता है तो माननिय जिला कलेक्टर टोंक ने कैसे नियम विरूद्ध सम्मानित किया है रोकार्ड उपलब्ध करावे ताकि माननिय उच्च न्यायालय की शरण ले सकू।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में [illegible] उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर [illegible] गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपील प्रा0पत्र की प्र[illegible] लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को प्रेषित [illegible] गई। लोक [illegible] अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा पत्र क्रं. एफ 4( )सामान्य/आर[illegible] आई/2021/6151 दिनांक 10–11–2021 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:52:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

द्वारा चाही जा रही सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 5201 दिनांक 21.09.2021 द्वारा बिन्दु संख्या 2 व 3 की सूचना अपीलार्थी को जरिये डाक उपलब्ध करवादी गई है। शेष बिन्दु सं0 01, 04 एवं 05 की सूचना जिला सैनिक कल्याण कार्यालय टोंक से सम्बन्धित होने से सूचना उस कार्यालय से प्राप्त करने हेतु आवेदक को सूचित किया जा चुका है, जिसकी छाया प्रति जवाब के साथ संलग्न की गई है। स्पष्ट है कि आवेदक को कार्यालय के रिकार्ड अनुसार बिन्दु संख्या 2 व 3 की सूचना उपलब्ध करवाकर बिन्दु सं0 01, 04 एवं 05 की सूचना जिला सैनिक कल्याण कार्यालय टोंक से प्राप्त करने हेतु सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:52:41 IST
Reason: SelfAttested